आपराधिक समीक्षा

माननीय न्यायमूर्ति ए.डी. कोशल तथा भोपिन्दर सिंह ढीलों के समक्ष

एल. डी. कटारिया-याचिकाकर्ता

बनाम

के.एन. कुट्टी.-प्रतिवादी

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 51-एम., 1970

3 अगस्त 1971.

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का 5)-धारा 197-भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को राज्य सरकार निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया-अपराध का आरोप है कि ऐसे प्रबंध निदेशक ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया है-के लिए मंजूरी धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन - यदि आवश्यक हो।

निर्णय लिया गया कि जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को राज्य सरकार के निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का इरादा रखते हुए कोई अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तो मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है। उसे कथित अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत आवश्यक नहीं है। निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर रहते हुए, वह निस्संदेह एक लोक सेवक है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के खंड बारहवें द्वारा परिकल्पित है, एक सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है जैसा कि धारा 617 में परिभाषित है। कंपनी अधिनियम; लेकिन सभी लोक सेवकों को धारा 197 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता है जो केवल एक प्रकार के लोक सेवकों से संबंधित है, अर्थात्, वे लोक सेवक जो मंजूरी के अलावा या उसके बिना अपने कार्यालय से नहीं हटाए जा सकते हैं किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का. ये सच है कि प्रबंध निदेशक पूरे समय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना रहता है और ऐसा अधिकारी केंद्र सरकार के अलावा अपने कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस सेवा के सदस्य के रूप में वह प्रबंध निदेशक का पद धारण नहीं करता है। निगम. इसके विपरीत वह पद निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत पारित राज्यपाल के आदेश के तहत उनके पास है। इन अनुच्छेदों के तहत निगम का प्रबंध निदेशक राज्यपाल की मर्जी पर अपना पद धारण करता है, जिसके पास उसे "अपने पूर्ण विवेक से किसी भी समय" पद से हटाने की शक्ति है। यदि राज्यपाल यह मानते हैं कि प्रबंध निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाएगा, तो उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मंजूरी लेने या परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, और उनके द्वारा स्वयं को हटाने का आदेश पारित किया जाएगा। कार्यालय का व्यक्ति वैध एवं अंतिम होगा। इसलिए निगम के प्रबंध निदेशक को संहिता की धारा 197 द्वारा परिकल्पित प्रकार का लोक सेवक नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 6 और 7)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 19 अप्रैल, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। मामले का निर्णय अंततः 3 अगस्त, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.डी. कोशल और माननीय श्री न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों की खंडपीठ द्वारा किया गया।

धारा 439 और 561-ए सीआरपीसी के तहत याचिका और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 में प्रार्थना की गई है कि हरियाणा सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से मंजूरी के अभाव में, न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और जैसा कि शिकायत नहीं करती है। किसी भी अपराध के घटित होने का खुलासा तब तक करें जब तक वह गोपनीय रिपोर्ट देने के लिए कानून में हकदार है, पूरी कार्यवाही रद्द कर दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डी. डी. जैन और ए. सी. जैन।

प्रतिवादी की ओर से वकील एम. एल. नंदा।

आदेश दिनांक 3 अगस्त 1971

कोशल, जे.

(1) यह श्री जी.एस. भट्टी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश दिनांक 4 अगस्त, 1970 के संशोधन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 और 561-ए के तहत एक याचिका है। चंडीगढ़, याचिकाकर्ता के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें प्रार्थना की गई थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 469 और 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाए, जो 3 मार्च, 1970 की एक शिकायत का विषय था, जो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान मजिस्ट्रेट। इस कारण से नहीं लिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 द्वारा परिकल्पित कोई मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई थी।

2) याचिका के तथ्य विवाद में नहीं हैं और शीघ्र ही बताए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है, जिसे हरियाणा राज्य की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। 16 सितंबर, 1968 से 1 अप्रैल, 1970 तक, उन्होंने हरियाणा एग्रो-इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) के प्रबंध निदेशक का पद संभाला, जो " सरकारी निगम" जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है। श्री के.एन. कुट्टी, प्रतिवादी ने 19 अक्टूबर, 1967 से 29 मई, 1969 तक निगम के सचिव का पद संभाला, जब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उनके पद की समाप्ति के कारण. उन्होंने अपनी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को एक सिविल मुकदमे में चुनौती दी जो अभी भी लंबित है। इसके बाद ऊपर उल्लिखित शिकायत प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 30 मई, 1969 को या उसके आसपास प्रतिवादी के काम और आचरण के संबंध में गोपनीय टिप्पणियां दर्ज की थीं, जब प्रतिवादी को एक अच्छी चिट दी गई थी। लेकिन 5 महीने से अधिक समय के बाद, यानी, 12 नवंबर, 1969 को, याचिकाकर्ता

द्वारा उन टिप्पणियों के स्थान पर एक और गोपनीय रिपोर्ट डाल दी गई, रिपोर्ट प्रतिवादी के लिए अपमानजनक थी। प्रतिवादी के अनुसार, यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न निगमों में प्रसारित की गई थी ताकि प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे।

(3) 29 अप्रैल, 1970 को, याचिकाकर्ता ने विद्वान मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि शिकायत उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी की कमी के कारण खारिज की जा सकती है (1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 जो इस प्रकार चलती है:

"197. (1) जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अर्थ के अंतर्गत न्यायाधीश हो, या जब कोई मजिस्ट्रेट हो, या जब कोई लोक सेवक हो, जो मंजूरी के अलावा या उसके बिना अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए कथित तौर पर किए गए किसी अपराध का आरोप है, कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा-

(ए) केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित व्यक्ति के मामले में; और

(बी) किसी राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित व्यक्ति के मामले में, राज्य सरकार का।"

(4) विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश में कहा कि जिन अपराधों की शिकायत की गई है, उनका याचिकाकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध नहीं कहा जा सकता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह "उसके द्वारा किया गया है" अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते हुए।" मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया, हालांकि उनका यह भी मानना था कि याचिकाकर्ता निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर रहते हुए हरियाणा राज्य के मामलों के संबंध में कार्यरत व्यक्ति था।

(5) याचिका मूल रूप से मेरे विद्वान भाई ढिल्लन, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी, जिनके कहने पर इसमें शामिल प्रश्न के महत्व को देखते हुए इसे एक बड़ी पीठ को निपटाने के लिए भेजा गया था।

(6) यह याचिका इस साधारण कारण से विफल होनी चाहिए कि याचिकाकर्ता वह व्यक्ति नहीं है जिसके मामले में उपरोक्त उद्धृत धारा 197 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर रहते हुए वह निस्संदेह एक लोक सेवक थे, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के खंड बारहवें द्वारा परिकल्पित किया गया था और धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन पर थे। कंपनी अधिनियम का; लेकिन तब सभी लोक सेवकों को धारा 197 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता है जो केवल एक प्रकार के लोक सेवकों से संबंधित है, अर्थात्, वे लोक सेवक जो अपने पद से हटाए नहीं जा सकते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मंजूरी। यह सच है कि याचिकाकर्ता पूरे समय भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना रहा और ऐसे अधिकारी को केंद्र सरकार के अलावा उसके कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस सेवा

के सदस्य के रूप में वह इस पद पर नहीं था। निगम के प्रबंध निदेशक. इसके विपरीत वह पद निगम के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 100 के तहत पारित राज्यपाल के एक आदेश के तहत आयोजित किया गया था, जिसके अनुच्छेद 98, 99 और अनुच्छेद 100 के प्रासंगिक भाग से मुझे लाभ मिल सकता है।

98. (ए) गवर्नर, समय-समय पर, कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करेगा जो दो से कम नहीं और नौ से अधिक नहीं होगी।

बी) निदेशकों को कोई योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं होगी।"

"99. (ए) पदेन निदेशकों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और उन्हें ऐसा वेतन और भत्ता दिया जाएगा जो राज्यपाल समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 314 के प्रावधानों के अधीन, जैसे राज्यपाल द्वारा तय किया गया उचित अतिरिक्त पारिश्रमिक किसी एक या अधिक निदेशकों को उनके या उनके द्वारा या अन्यथा प्रदान की गई अतिरिक्त या विशेष सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकता है;

(बी) राज्यपाल समय-समय पर निदेशक मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है और वह अवधि निर्धारित कर सकता है जिसके लिए उसे अपना पद धारण करना है;

(सी) राज्यपाल के पास किसी भी पदेन, अध्यक्ष सहित निदेशक, यदि कोई हो, और प्रबंध निदेशक को अपने पूर्ण विवेक से किसी भी समय पद से हटाने की शक्ति होगी;

(डी) राज्यपाल को पदेन निदेशकों के पद से हटाने, इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा के कारण हुई किसी भी रिक्ति को भरने का अधिकार होगा।

"100. (ए) (i) निदेशक मंडल के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सामान्य रूप से कंपनी के व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन के लिए, राज्यपाल अनुच्छेद 99

(बी) के तहत नामित अध्यक्ष को सशक्त बना सकते हैं) प्रबंध निदेशक के कार्यों का पालन करना या राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, निदेशकों में से एक को प्रबंध निदेशक नियुक्त करना, जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। राज्यपाल एक या अधिक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। निदेशक एक कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी निदेशक होंगे। एक कार्यकारी निदेशक के कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियां ऐसी होंगी जो निदेशक मंडल की सिफारिश पर समय-समय पर राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।"

(7) यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निगम का प्रबंध निदेशक राज्यपाल की इच्छा पर अपना पद धारण करता है जिसके पास अधिकार है। उसे "किसी भी समय उसके पूर्ण विवेक से" पद से हटाने की शक्ति। यदि राज्यपाल मानते हैं कि प्रबंध निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाएगा, तो उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मंजूरी लेने या परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, और उनके द्वारा स्वयं आदेश पारित किया

जाएगा। व्यक्ति को पद से हटाना वैध एवं अंतिम होगा। और यदि ऐसा है, तो निगम के प्रबंध निदेशक को धारा 197 द्वारा परिकल्पित प्रकार का लोक सेवक नहीं माना जा सकता है।

(8) हालाँकि, श्री जैन का तर्क है कि निगम के प्रबंध निदेशक के कार्यों को निष्पादित करते हुए भी याचिकाकर्ता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्यता का आनंद लेना जारी रखा, जिसकी सदस्यता केंद्र सरकार के अलावा किसी अन्य के द्वारा हटाई नहीं जा सकती थी और, इसलिए, धारा 197 के प्रावधान उसके मामले को कवर करेंगे। यह विवाद पूरी तरह से अस्थिर है। हम यहां केवल उस पद से संबंधित हैं जो याचिकाकर्ता ने उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए धारण किया है जिसके संबंध में उस पर शिकायत किए गए अपराध को करने का आरोप है। वह कार्यालय केवल एक ही था, अर्थात् निगम के प्रबंध निदेशक का और उस कार्यालय से, जैसा कि पहले से ही था, उसे राज्यपाल द्वारा अपने पूर्ण विवेक से हटाया जा सकता था। उस कार्यालय का याचिकाकर्ता की भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्यता से कोई लेना-देना नहीं है. भले ही वह उस सेवा का, या उस मामले के लिए किसी भी सेवा का सदस्य न रहा हो, उसे ऊपर निर्धारित एसोसिएशन के लेखों के तहत गवर्नर द्वारा एक निदेशक और एक प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया जा सकता था। इसलिए, इस प्रश्न का निर्णय करते समय अकेले प्रबंध निदेशक के कार्यालय को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या धारा 197 के प्रावधान उस पर लागू होंगे, जिसका उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

(9) श्री जैन ने गिरधारीलाल एवं अन्य बनाम लालचंद एवं अन्य, ए.आई.आर. पर भरोसा किया है। 1970 राज. 145, जो, हालांकि, उसके लिए कोई मदद नहीं करता है। यह एक नगर आयुक्त के खिलाफ शिकायत से उत्पन्न मामला था, जो कि राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने के लिए माना जाता है कि वह एक लोक सेवक है। इसलिए, वह मामला स्पष्ट रूप से दोषारोपण योग्य है। (1) एआईआर 1970 राज. 145.

(10) मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में हमारे लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या शिकायत किए गए अपराध भी धारा 197 में उल्लिखित प्रकार के हैं, जिसे याचिकाकर्ता के मामले में इस तथ्य के कारण अनुपयुक्त माना गया है कि वह प्रबंध निदेशक (जिस कार्यालय से हम यहां संबंधित हैं) के कार्यालय से राज्यपाल द्वारा अपने पूर्ण विवेक से हटाया जा सकता था, न कि किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मंजूरी से।

(11) परिणामस्वरूप याचिका खारिज की जाती है।

ढिल्लन, जे.-मैं सहमत हूं।

*****

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा